राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 02/2014/श्रीगंगानगर.
(सम्बन्धित अपील संख्या – 1956/2011/श्रीगंगानगर)

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन–प्रथम, श्रीगंगानगर. .....अपीलार्थी (अप्रार्थी).

बनाम

मैसर्स लुपिन एग्रो केमिकल्स (आई.) लिमिटेड
(नया नाम–केमिनोवा इण्डिया लिमिटेड) श्रीगंगानगर. .....प्रत्यर्थी (प्रार्थी).

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 15/12/2015

निर्णय

1. यह परिशोधन प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 1956/2011/श्रीगंगानगर में एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.2013 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रार्थी व्यवहारी के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत शास्ति रूपये 4,15,280/– का आरोपण आदेश दिनांक 23.7.98 से किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 14.3.2000 से स्वीकार की जाकर शास्ति आदेश अपास्त किया गया। उक्त आदेश की पालना में सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति राशि रूपये 4,15,280/– एवं ब्याज राशि रूपये 1,22,070/– कुल रूपये 5,37,350/– का रिफण्ड आदेश दिनांक 17.7.2000 को जारी किया गया तथा साथ ही अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14.3.2000 के विरूद्ध राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जो राजस्थान कर बोर्ड के आदेश दिनांक 29.4.2002 से अस्वीकार की गयी।

लगातार.....2

3. सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी निगरानी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 5.9.2007 से स्वीकार करते हुए प्रकरण अपीलीय अधिकारी को माननीय उच्चतम न्यायालय के **मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज (2007) 18 टैक्स अपडेट 321** के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। इस पर अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश की पालना में दिनांक 25.7.2008 को आदेश पारित करते हुए प्रार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाकर सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 23.7.98 की पुष्टि की गयी। सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश की पालना में दिनांक 12.9.2008 को आदेश पारित करते हुए व्यवहारी के विरूद्ध आरोपित शास्ति राशि रूपये 4,15,280/– एवं इस पर चुकायी गयी ब्याज राशि रूपये 1,22,070/– कुल रूपये 5,37,350/– की पुनर्स्थापना की गयी। प्रार्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21.7.2009 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया कि ब्याज के बिन्दु पर माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण के न्यायिक दृष्टान्त **(1999) 23 टैक्स वर्ल्ड 139** एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त **(2007) 18 टैक्स अपडेट 152** में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में पुनः आदेश पारित किया जावे।

4. इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 16.3.2010 को आदेश पारित करते हुए पूर्व में पारित आदेश दिनांक 12.9.2008 अनुसार शास्ति व ब्याज को यथावत रखा गया। सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 8.4.2011 से स्वीकार करते हुए ब्याज राशि रूपये 1,22,070/– को अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील संख्या 1956/2011/श्रीगंगानगर में माननीय एकलपीठ द्वारा आदेश दिनांक 06.03.2013 पारित करते हुए उक्त ब्याज राशि की वसूली मय ब्याज के किये जाने सम्बन्धी निर्देश सक्षम अधिकारी को दिये गये। माननीय एकलपीठ के उक्त आदेश को संशोधित किये जाने हेतु प्रार्थी व्यवहारी द्वारा यह परिशोधन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

लगातार.....3

5. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी द्वारा माननीय एकलपीठ द्वारा प्रार्थी से ब्याज राशि की वसूली मय ब्याज के किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये जाने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गयी है। अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पालना में सक्षम अधिकारी द्वारा रिफण्ड आदेश जारी किया गया था। अतः प्रार्थी शास्ति राशि की सीमा तक ही राशि विभाग में जमा कराने हेतु दायी था। माननीय एकलपीठ द्वारा ब्याज राशि की पुष्टि करते हुए, मय ब्याज के वसूलनीय अवधारित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने माननीय एकलपीठ का आदेश दिनांक 06.03.2013 संशोधनीय बताते हुए प्रार्थी का परिशोधन प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ के आदेश दिनांक 06.03.2013 का समर्थन करते हुए कथन किया कि माननीय एकलपीठ द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए ही निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक/विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2011) 29 टैक्स अपडेट 253 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज** का हवाला देते हुए प्रार्थी का परिशोधन प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

8. प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.2013 में, अधिनियम की धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति राशि, जो कि प्रार्थी द्वारा अपीलीय आदेश के अनुसरण में विभाग से पुनः प्राप्त कर ली गई तथा उक्त शास्ति पश्चातवर्ती निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में पुनः प्रतिस्थापित हो जाने के फलस्वरूप, सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति राशि मय ब्याज के वसूलनीय होने सम्बन्धी आदेश पारित किया गया है, की पुष्टि करते हुए ब्याज राशि भी मय ब्याज के वसूलनीय होना अवधारित किया गया है। माननीय एकलपीठ द्वारा विधिक प्रावधानों तथा तथ्यात्मक स्थिति का विस्तृत विवेचन करते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी व्यवहारी द्वारा चाहा गया संशोधन तर्कसंगत एवं विधिसम्मत नहीं होने के कारण, प्रार्थी व्यवहारी का परिशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

लगातार.....4

10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 37 (वेट अधिनियम की धारा 33) की परिधि पर न्यायिक दृष्टान्त **(2011) 29 टैक्स अपडेट 253 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक** में यह अवधारित किया गया है कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 धारा 37 के अन्तर्गत पूर्व में पारित सुविचारित निर्णय परिशोधन की परिधि में नहीं आता है तथा धारा 37, पूर्व में पारित निर्णयों को पुनर्विलोकन करने का क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती है।

11. इसी प्रकार का मत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **42 टैक्स अपडेट पार्ट—3 पेज 103 सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अलवर बनाम पी.एन.सी. कंस्ट्रक्शन, धौलपुर में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015** में प्रतिपादित किया गया है।

12. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

13. निर्णय सुनाया गया।

15.12.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य